Case No. 142/2024

Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)
[Anganbari Appeal Case No.-142/2024]
Ambika Kumari...Petitioner.
Versus
Reena Raman & Others The State of Bihar ....Opposite Parties.

Sl. No.	Date of order of Proceeding	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	21.10.2025	**आदेश** यह आंगनबाड़ी अपील वाद अम्बिका कुमारी, पति-मिथिलेश कुमार, ग्राम-सलखुआ, वार्ड सं0-02, पो0-सलखुआ बाजार, प्रखंड-सलखुआ, जिला-सहरसा के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सहरसा के आंगनबाड़ी वाद सं0-298/2023 में दिनांक-30.9.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। LCR प्राप्त है। दिनांक-11.10.2025/18.10.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी सं0-1 (रीना रमण) तथा विपक्षी सं0-2 (कंचन कुमारी) का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थी अम्बिका कुमारी की ओर से Written Note Of Argument दाखिल है। अपीलार्थी का अभिकथन है कि विपक्षी रीना रमण वस्तुतः रीना कुमारी पिता-कंतलाल यादव, ग्राम-माली, थाना-बेलदौर, जिला-खगड़िया की निवासी है। प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र उनके ससुराल में अवस्थित है। तथा यह कि रीना कुमारी, पिता-कंतलाल यादव द्वारा प्रश्नगत आँगनबाड़ी सेविका के पद पर चयन हेतु धोखाधड़ी कर रीना रमण के नये नाम से कागजात एवं प्रमाण-पत्र आदि बनवाकर आँगनबाड़ी सेविका के पद पर चयन हेतु आवेदन दिया गया। उनके द्वारा अपील आवेदन के साथ उपरोक्त अभिकथन का साक्ष्य संलग्न किया गया है। अपील आवेदन के Annexure-4 में विद्यालय (माध्यमिक विद्यालय माली, बेलदौर, खगड़िया) के प्रवेश पुस्तिका, 1991 की छाया प्रति दाखिल किया गया है जिसके अनुसार इनका जन्मतिथि 03.5. 1986 है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के मध्यमा प्रमाण-पत्र (Sant Kabir Mahanth Basudeo Sans. H. School, Khopati) में इनका नाम रीना रमण पिता-कंतलाल यादव अंकित है। तथा जन्मतिथि 05.5.1988 अंकित है। जिससे अपीलार्थी के उपरोक्त अभिकथन/दावा की पुष्टि होती है। विपक्षी का कहना है कि संगत विभागीय प्रावधानों के अनुसार अपील जिला पदाधिकारी, सहरसा के समक्ष सम्पोषणीय है। अपीलार्थी की ओर से लगाये गये गंभीर आरोप (नाम एवं जन्मतिथि बदलकर आँगनबाड़ी सेविका पद के लिए आवेदन पत्र दाखिल करने) के संदर्भ में विपक्षी की ओर से कोई यथोचित जवाब अंकित नहीं किया गया है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख/LCR में रक्षित कागजातों के अवलोकनोपरांत ऐसा मानने का पर्याप्त आधार है कि विपक्षी रीना कुमारी उर्फ रीना रमण द्वारा अपना नाम एवं जन्मतिथि बदलकर प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका के चयन हेतु आवेदन दिया गया। जो विधि विरूद्ध है। तथा ऐसी स्थिति में उनका चयन विधिमान्य नहीं माना जा	

	21.10.2025	सकता है। निम्न न्यायालय (जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा) के स्तर से उपरोक्त Relevant Facts को Overlook करते हुए आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है। इस न्यायालय में सुनवाई में विपक्षी की ओर से अपना नाम एवं उम्र बदलकर आवेदन/प्रमाण-पत्र के आधार पर आँगनबाड़ी सेविका नियोजन प्राप्त करने के गैरकानूनी कार्य के अपीलार्थी के अभिकथन तथा उपस्थापित साक्ष्यों के संदर्भ में कोई जवाब अथवा Counter Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन के संदर्भ में विभागीय मार्गदर्शिका तथा सरकारी विद्वान अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में प्रश्नगत मामले को जिला पदाधिकारी, सहरसा को Remand Back करते हुए उन्हें निदेशित किया जाता है कि विषयवस्तु की गंभीरता को देखते हुए अधिकतम 04 सप्ताह के अंदर नियमित सुनवाई करते हुए इस न्यायालय द्वारा पाये गए Findings (तथा अन्य अनुवर्त्ती Relevant Fact अथवा साक्ष्य यदि कोई हो तो) के आधार पर सकारण आदेश से इस अपील वाद का निस्तार करेंगे। उभय पक्ष को आदेश दिया जाता है कि इस वाद के Merit के संदर्भ में अपना अभिकथन एक सप्ताह के अंदर जिला पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में दाखिल करेंगे। जिला पदाधिकारी, सहरसा के स्तर से अपील निर्णीत होने तक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें। आदेश तथा सभी संगत कागजातों की प्रति LCR सहित जिला पदाधिकारी, सहरसा को भेजें। Rajesh K. 21/10/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। Rajesh K. 21/10/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल सहरसा।